न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्या: 18/2019

प्रार्थी

(1) हकमाराम पुत्र वनाजी, जाति– मेघवाल, निवासी– कालन्द्री, तह. व जिला–सिरोही
(2) लीलाराम पुत्र सोमाजी, जात– मेघवाल, निवासी–कालन्द्री, तह. व जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

(1) भीमाराम पुत्र होबाजी, जाति– मेघवाल, निवासी– मेघवाल वास, गोयली, तहसील व जिला– सिरोही के उत्तराधिकारी व वारिसदारः–
1/1. श्रीमती उर्मिला पत्नी श्री महेन्द्र कुमार पुत्री स्वर्गीय भीमारामजी, जाति– मेघवाल, निवासी– दक्षिणी मेघवाल वास, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही
1/2. प्रवीण कुमार पुत्र स्व. भीमारामजी, जाति–मेघवाल, निवासी–गोयली, तह. सिरोही
1/3. कमलेश कुमार पुत्र स्व. भीमाराम, जाति–मेघवाल, निवासी–गोयली, तह. सिरोही
1/4. जमना देवी पत्नी भीमाराम जी, जाति–मेघवाल, निवासी–गोयली, तह. सिरोही
(2) ग्राम पंचायत, कालन्द्री जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, कालन्द्री, तह. व जिला–सिरोही

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री मोहन सिंह देवड़ा, प्रार्थीगण की ओर से
(2) अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढ़ा, अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/4 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 11 नवम्बर, 2024**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा श्री भीमाराम पुत्र होबाजी मेघवाल, निवासी– कालन्द्री के पक्ष में क्षेत्रफल 1250 वर्गफीट भूमि के निःशुल्क भूखण्ड़ आवंटन का जारी पट्टा दिनांक 15.12.1988 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या–1 (भीमाराम) की ओर से अधिवक्ता श्री जयकिशन विश्नोई उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या–2 (सरपंच, ग्राम पंचायत, कालन्द्री) की ओर से अधिवक्ता श्री भंवर सिंह देवड़ा उपस्थित। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या–1 (भीमाराम) की मृत्यु हो जाने से अप्रार्थी स्वर्गीय भीमाराम के विधिक वारिसान को पक्षकारान बनाने हेतु प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 22 नियम 4 व सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत हुआ। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/4 को पक्षकार बनाये जाकर रेकर्ड पर लिये जाने के आदेश पारित किये गये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/4 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढ़ा उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/4 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से जवाब प्रस्तुत नही करने से अप्रार्थी संख्या–2 का जवाब बन्द किया गया। प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि 25.10.2024 को अप्रार्थी संख्या–2 के अधिवक्ता उपस्थित नही हुये।

(2) बहस सुनी गई बहस के दौरान प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री देवड़ा ने निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर इंगित करते हुए यह व्यक्त किया

....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 10:11:32 IST
Reason: SelfAttested

कि श्री भीमाराम पुत्र भी होबाजी, जाति–मेघवाल निवासी–कालन्द्री के पक्ष में ग्राम पंचायत कालन्द्री द्वारा पट्टा दिनांक 15.12.1988 को जारी करना दर्शाया है। उक्त पट्टा ग्राम पंचायत कालन्द्री द्वारा जारी किया हुआ नहीं है एवं न ही उक्त पट्टे से संबंधित रिकॉर्ड ग्राम पंचायत, कालन्द्री में है। स्वर्गीय भीमाराम का प्रश्नगत पट्टे में वर्णित भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है एवं न ही मौके पर कब्जा है। प्रश्नगत पट्टे में वर्णित चतुदर्शी एवं नाप का भूखण्ड आबादी ग्राम कालन्द्री में मौके पर उपलब्ध नही है। प्रश्नगत पट्‌टे के संबंध में जानकारी अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत सिविल वाद से हुई है। प्रश्नगत पट्टे में वर्णित भूमि प्रार्थीगण के अलग अलग आवासीय भूखण्ड की भूमि है। उक्त तथाकथित पट्टा 15.12.1988 फर्जी एवं कुटरचित प्रलेख है। जिससे उसे निरस्त किया जाना न्यायसंगत है। जिससे की अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/4 उक्त पट्टे का भविष्य में दुरूपयोग नहीं कर सके। प्रार्थीगण ग्राम कालन्द्री के स्थाई निवासी है एवं ग्राम कालन्द्री में ही निवास करते है एवं स्वर्गीय भीमाराम पुत्र होबाजी व अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/4 ग्राम गोयली के मूल निवासी हैं। स्वर्गीय भीमाराम पुत्र होबाजी मेघवाल ने ग्राम कालन्द्री में बिजली विभाग में स्वयं के सरकारी सेवक रहते हुए फर्जी पट्टा तैयार करवाया है। जिससे प्रार्थीगण को यह निगरानी प्रस्तुत कर तथाकथित फर्जी पट्टा 15.12.1988 को निरस्त करवाये जाने का पूर्ण हक अधिकार प्राप्त है। भीमाराम पुत्र होबाजी मेघवाल के नाम से जारी तथाकथित पट्टा 15.12.1988 का ग्राम पंचायत कालन्द्री द्वारा जारी किया हुआ नहीं है। उक्त पट्टा जारी किये जाने के संबंध में ग्राम पंचायत कालन्द्री द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया है। उक्त तथाकथित पट्टा केवल पूर्व सरपंच के फर्जी हस्ताक्षर से जारी किया गया है। पट्टे पर सचिव ग्राम पंचायत कालन्द्री या तत्कालिन उप सरपंच, ग्राम पंचायत, कालन्द्री के हस्ताक्षर नहीं है। है। यह कि उक्त पट्टे के संबंध में ग्राम पंचायत, कालन्द्री में किसी प्रकार की कोई मिसल संधारण नहीं की गई है, जिससे यह साबित हैं कि उक्त तथाकथित पट्टा ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा जारी किया हुआ नही है। प्रश्नगत पट्‌टे के संबंध में इस न्यायालय द्वारा भी ग्राम पंचायत, कालन्द्री से रेकर्ड तलब करने पर ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा इस न्यायालय को पत्र प्रस्तुत कर प्रश्नगत पट्‌टे के संबंध में ग्राम पंचायत, कालन्द्री में कोई रिकॉर्ड नही होना बताया है एवं यह भी अवगत कराया है कि ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा भीमाराम पुत्र होबाजी मेघवाल के नाम से पट्‌टा जारी नही किया गया है। जिससे उक्त पट्टा प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है। उक्त तथाकथित पट्टा भीमाराम पुत्र होबाजी मेघवाल को निःशुल्क आवासीय आवंटन के आधार पर जारी करना दर्शाया गया है। उक्त तथाकथित पट्टे में वर्णित भूमि प्रार्थीगण अलग अलग आवासीय भूखण्ड़ की भूमि है। उक्त पट्टे में वर्णित चतुदर्शी का कोई भूखण्ड आबादी ग्राम कालन्द्री में नहीं है। यह कि भीमाराम पुत्र होबाजी मेघवाल के हक में जारी तथाकथित पट्टे में वर्णित भूमि प्रार्थीगण के कब्जे शुदा आवासीय भूखण्ड की भूमि है एवं उपरोक्त वर्णित पट्टा कुटरचित दस्तावेज है जो काबिल निरस्त के हैं। यह कि ग्राम पंचायत, कालन्द्री के पूर्व सरपंच के फर्जी हस्ताक्षर द्वारा प्रश्नगत पट्टा जारी होना बताया है। प्रश्नगत पट्टा विधि विरूद्ध रूप से जारी किया गया है जो आरम्भतः शून्य है। ऐसे फर्जी पट्टे से विधि में कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। यह कि उक्त प्रश्नगत पट्टे को निरस्त नहीं किया गया तो अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/4 उक्त पट्टे का दुरूपयोग कर सकते है एवम् अन्य लोग के मुगालते में आ सकते है, जिससे ऐसे पट्टे को निरस्त किया जाना न्यायसंगत हैं। यह कि तथाकथित फर्जी पट्टे के आधार पर प्रार्थीगण को हैरान व परेशान किया जा रहा है एवं प्रार्थीगण को अपने आवासीय भूखण्ड की भूमि के उपयोग से वंचित होना पड़ रहा है। अतः प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा श्री भीमाराम पुत्र होबाजी मेघवाल के पक्ष में जारी तथाकथित पट्टा दिनांक 15.12.1988 को निरस्त

....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:11:32 IST
Reason: SelfAttested

किया जावे। जबकि बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/4 के विद्वान अधिवक्ता श्री आढ़ा ने अप्रार्थीगण के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि स्वर्गीय भीमाराम पुत्र होबाजी मेघवाल के पक्ष में ग्राम अरठ नामे वानरावा के पास आबादी क्षेत्र में एक आवासीय भूखण्ड का पट्टा दिनांक 15.12.1988 को भीमाराम मेघवाल अनुसुचित जाति का व्यक्ति होने से पात्रता रखने से उसे ग्राम पंचायत कालन्द्री द्वारा नियमानुसार जारी किया गया था उक्त पट्टे पर नियमानुसार ग्राम पंचायत, कालन्द्री के तत्कालिन सरपंच, पंचायत सदस्य वार्ड संख्या 4 तथा आवंटी भीमाराम के पट्टे पर हस्ताक्षर कर पट्टा नियमानुसार जारी किया गया है तब से उक्त भूखण्ड पर भीमाराम काबिज रहा है व उनके बाद अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/4 काबिज है। उक्त दस्तावेज फर्जी व कुटरचित दस्तावेज नही है, प्रार्थीगण को अप्रार्थी के विरुद्ध उक्त निगरानी आवेदन प्रस्तुत करने का कोई हक अधिकार नहीं है। भीमाराम पुत्र होबाजी के नाम से ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है पट्टे पर सचिव या उप सरपंच के हस्ताक्षर के संबंध में कोई कॉलम नहीं है, पट्टे पर केवल आवंटन अधिकारी व आवंटी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है जिनके दोनो के हस्ताक्षर किये हुए है तथा समर्थन में वार्ड संख्या 4 के वार्ड पंच के भी हस्ताक्षर पट्टे पर किये हुए है। उक्त प्रट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत, कालन्द्री में नियमानुसार मिसल का संधारण किया गया है तथा पट्टा ग्राम पंचायत कालन्द्री द्वारा नियमानुसार जारी किया गया है पट्टा जारी करते समय उत्तर दिशा में नवीया पुत्र उनाराम मेघवाल का भूखण्ड दर्शाया हुआ है तथा दक्षिण में गणेशराम भूबाजी मेघवाल का भूखण्ड बताया हुआ है, पुर्व दिशा में आम रास्ता, पश्चिम में अरठ वानरावा का जाव दर्शाया हुआ है तथा नाप 25 गुणा 50 कुल 1250 वर्गफिट का पट्टे में उल्लेख किया गया है उसी अनुसार मौके पर अप्रार्थी का कच्चा झोपडा व केलुपोश मकान बना हुआ है तथा उक्त भूखण्ड में चीण पट्टीयां, पत्थर, बजरी इत्यादी निर्माण सामग्री भी डाली हुई है, प्रार्थीगण के मकानात अप्रार्थी के उक्त भूखण्ड के सामने की तरफ ही स्थित है जिससे उक्त भुखण्ड भीमाराम पुत्र होबाजी का पट्टेशुदा होने का प्रार्थीगण को शुरूआत से ही जानकारी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालयो द्वारा समय समय पर दिये दिशा निर्देश अनुसार निगरानी आवेदन युक्तियुक्त अवधि में प्रस्तुत किया जाना चाहिये, जबकि यह निगरानी आवेदन पट्टा जारी होने के करीब 31 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत किया गया है जो कानूनन अवधी बाहर होने से निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि श्री भीमाराम पुत्र होबाजी मेघवाल ग्राम कालन्द्री में ही निवास करते थे एवं वर्ष 2018 से ही ग्राम गोयली में निवास कर रहे थे। प्रार्थीगण ने भीमाराम पुत्र होबाजी की अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए अप्रार्थी के पट्टेशुदा भूखण्ड पर पंचायत से मेल मिलाप कर अवैध रूप से अतिक्रमण करने की कोशिश की है, जबकि प्रार्थीगण इस पट्टे व भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार से हितबद्ध व्यक्ति नहीं है जिससे उनको यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत करने का कोई वाद कारण पैदा नही होता है जिससे प्रथम दृष्टया ही यह निगरानी आवेदन खारिज योग्य है। यह कि उक्त पट्टा दिनांक 15.12.1988 को नियमानुसार भीमाराम पुत्र होबाजी मेघवाल के नाम से जारी किया गया है जिसकी जानकारी प्रार्थीगण, ग्राम पंचायत कालन्द्री व तमाम अडोसी पडोसी को शुरूआत से ही है लेकिन इसके उपरान्त भी प्रार्थीगण ने सन् 2019 में उक्त भूखण्ड पर प्रथम बार अतिक्रमण करने की कोशिश की, जिस पर भीमाराम पुत्र होबाजी की ओर से प्रार्थीगण के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया एवं सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया, जिसकी अदावती में प्रार्थीगण ने पट्टा जारी होने के करीब 31 वर्ष पश्चात् मनगंढत व झूठे कथनों के आधार पर यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है जो अवधि बाहर होने से कानूनन परिपोषणीय नही है। अतः प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:11:32 IST
Reason: SelfAttested

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा श्री भीमाराम पुत्र होबाजी मेघवाल, निवासी– कालन्द्री के पक्ष में क्षेत्रफल 1250 वर्गफीट भूखण्ड़ के निःशुल्क आवंटन का पट्टा दिनांक 15.12.1988 को जारी किया हुआ है। राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 267(2) के अर्न्तगत ग्राम पंचायत द्वारा अनुसूचित जाति, जन जातियों, पिछड़ी जातियों के सदस्यों, ग्रामीण शिल्पियों और ऐसे भूमिहीन श्रमिकों, जिनके पास गृहस्थल/गृह नही है को ग्रामीण आबादी में 150 वर्ग गज अर्थात् 1350 वर्गफीट आबादी भूमि का निःशुल्क आवंटन करने का प्रावधान था।

प्रार्थीगण का मुख्यतः कथन यह है कि ''श्री भीमाराम पुत्र भी होबाजी, जाति–मेघवाल निवासी–कालन्द्री के पक्ष में ग्राम पंचायत कालन्द्री द्वारा पट्टा दिनांक 15.12.1988 को जारी करना दर्शाया है। उक्त पट्टा ग्राम पंचायत कालन्द्री द्वारा जारी किया हुआ नहीं है एवं न ही उक्त पट्टे से संबंधित रिकॉर्ड ग्राम पंचायत, कालन्द्री में है। स्वर्गीय भीमाराम का प्रश्नगत पट्टे में वर्णित भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है एवं न ही मौके पर कब्जा है। प्रश्नगत पट्टे में वर्णित चतुदर्शी एवं नाप का भूखण्ड आबादी ग्राम कालन्द्री में मौके पर उपलब्ध नही है।'' लेकिन प्रार्थीगण ने निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के समर्थन में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है, जिससे यह साबित हो सके कि श्री भीमाराम पुत्र होबाजी मेघवाल के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 15.12.1988 की भूमि, प्रार्थीगण के पुराने कब्जेशुदा आवासीय भूखण्ड़ की भूमि है। चूंकि प्रकरण में विवाद प्रश्नगत पट्टे से संबंधित भूमि के कब्जे स्वामित्व का है एवं सम्पति के कब्जे स्वामित्व के बिन्दु को तय करने का अधिकार इस न्यायालय को नही है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत पट्टा दिनांक 15.12.1988 का जारी किया हुआ है एवं इतने वर्ष पुराने दस्तावेज की विश्वसनीयता पर संदेह नही किया जा सकता है, क्योंकि रेकर्ड के संधारण का दायित्व ग्राम पंचायत का है।

चूंकि निगरानी आवेदन में अंकित कथनों को साबित करने का दायित्व प्रार्थीगण निगरानीकार का है एवं प्रार्थीगण निगरानीकार, निगरानी आवेदन में अंकित कथनों को साबित करने में असफल रहे है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्राथीगण ने श्री भीमाराम पुत्र होबाजी मेघवाल के पक्ष में जारी प्रश्नगत पट्टा दिनांक 15.12.1988 को निरस्त कराने हेतु यह निगरानी आवेदन वर्ष 2019 में पट्टा जारी होने के 30 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत किया है, जो अतिशय विलम्ब से प्रस्तुत किया है एवं इस विलम्ब की अवधि के संबंध में प्रार्थीगण ने निगरानी आवेदन में कोई युक्तियुक्त कारण भी नही दर्शाया है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थीगण, अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण सारहीन होने व साबित नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 11 नवम्बर, 2024 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:11:32 IST
Reason: SelfAttested